रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022023-243541
CG-DL-E-09022023-243541

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2023/माघ 20, 1944
No. 73]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2023/MAGHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 90(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (एफए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है। विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के अतिरिक्त होते हुए भी ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 53क में शब्दों "जिसमें डीलर स्थित है" के पश्चात् शब्द "या पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के मामले में, जिसे एक अनुकूलित वाहन में रूपांतरण के लिए परिवर्तित किया जाएगा" अंत:स्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमावली के नियम 53ख में, उप-नियम (2) के तहत, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के मामले में, जिसे एक अनुकूलित वाहन में रूपांतरण करने के लिए परिवर्तित किया जाना है या मोटर वाहन उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर स्थित है, ऐसे अस्थायी पंजीकरण की वैधता इसके जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के लिए होगी।"

[सं. आरटी-11036/164/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ...., दिनांक ....के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या ....(अ) दिनांक ………… के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2023

G.S.R. 90(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (fa) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………………. Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 53A, after the words "in which the dealer is situated", the words " or in case of fully built motor vehicle which is to be altered for conversion to an adapted vehicle" shall be inserted.

3. In rule 53B of the said rules, under sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in case of fully built motor vehicle which is to be altered for conversion to an adapted vehicle or the motor vehicle is being registered in a state other than the state in which the dealer is situated, the validity of such temporary registration shall be for forty five days from the date of its issue.".

[No. RT-11036/164/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R…………, dated the ………… and last amended vide notification number …..…..(E), dated the …...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA